न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः–　　　अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :–　　119 /2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर :–　　2025/188

प्रार्थी　　　　बनाम　　　　विप्रार्थी

राजस्थान सरकार जरीए　　　　　　राज.सरकार

तहसीलदार पाटोदी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 130,131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1.प्रार्थी उपस्थित।

2.विप्रार्थी की ओर से राज.पैरोकार

:आदेशः

दिनांक 02.05.2025

1.संक्षिप्त में आवेदन पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि ग्राम चिलानाड़ी तहसील पाटोदी की खसरा संख्या 4349/3540 खाता नम्बर 01 राज.सरकार के खातें में इन्द्राज है। जबकि उक्त खसरान के खातेदारान द्वारा मौके पर कदीमी रास्ता चलने के कारण किस्म गै.मु.रास्ता राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करवानें की मंशा के साथ ही भूमि राज.सरकार के पक्ष में समर्पण करवाई गई थी,लेकिन वर्णित खसरान राज.सरकार के नाम दर्ज हुई,लेकिन किस्म बा.सो. यथावत रहने के कारण प्रार्थी द्वारा किस्म बा.सोयम के स्थान पर किस्म गै.मु.रास्ता दुरूस्त करवानें हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2.प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी की ओर से राज.पैरोकार की ओर निवेदन किया गया कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किए जाने पर आपति नहीं है।

3.उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी ने आवेदन–पत्र के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस में निवेदन किया कि ग्राम चिलानाड़ी तहसील पाटोदी की खसरा संख्या 4349/3540 खाता नम्बर 01 राज. सरकार के खातें में इन्द्राज है। उक्त प्रस्तावित रास्ता चिलानाड़ी से रेखाराम दुगट की ढाणी तक बारहमासी कदीमी रास्ता में उपयोग लिया जा रहा है। प्रस्तावित खसरान की भूमि का आम जन सार्वजनिक रास्ता के रूप में उपयोग–उपभोग किया जा रहा है। उक्त खसरान के खातेदारान द्वारा वर्णित भूमि को कदीमी रास्ता के रूप में उपयोग लिए जाने के कारण ही राज.सरकार के पक्ष में किस्म गै.मु.रास्ता दर्ज करवानें के लिए भूमि सर्मपण की गई थी,लेकिन वर्णित भूमिया राज. सरकार के खाते में इन्द्राज कर दी गई,किस्म यथावत रखी गई। जबकि वर्णित भूमि का कदीमी रास्ता के रूप में उपयोग होने के कारण किस्म बा.सोयम के स्थान पर किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज किए जाने का आदेश फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

4.विप्रार्थी की ओर से राज.पैरोकार ने निवेदन किया कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाता है,तो आपति नहीं है।

5.हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड एवं दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि ग्राम चिलानाड़ी तहसील पाटोदी की खसरा संख्या 4349/3540 खाता नम्बर 01 राज.सरकार के खातें में इन्द्राज है। जबकि प्रार्थी स्वंय द्वारा वक्त बहस स्वीकार किया है कि उक्त वर्णित खसरान रकबा का आमजन द्वारा सार्वजनिक रास्ता के रूप में बारहमासी उपयोग लिया जा रहा है,लेकिन रेकर्ड में किस्म बा.सोयम दर्ज है,उसके स्थान पर किस्म गै.मु.रास्ता दर्ज करवाने का अनुतोष चाहा है। पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड जमाबंदी नक्शा अवलोकन से भी प्रतीत होता है कि प्रस्तावित खसरान रास्ता के रूप में तरमीम हो रखी है तथा प्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार पाटोदी ने भी स्वीकार किया है कि रेकर्ड में किस्म बा.सोयम अशुद्व दर्ज हो रखी है। ऐसी सूरत में किस्म बा. सोयम के स्थान किस्म गै.मु.रास्ता दुरूस्त किया जाता न्यायसंगत प्रतीत होता है।

06.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थी प्रस्तावित खसरान भूमि की किस्म बा.सोयम के स्थान किस्म गै.मु.रास्ता दुरुस्त करवाने का हकदार प्रतीत होता है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन–पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 130,131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम–चिलानाड़ी तहसील पाटोदी की खसरा संख्या 4349/3540 क्षेत्रफल 0.1133 हैक्टयर किस्म बा.सोयम के स्थान पर खसरा संख्या 4349/3540 क्षेत्रफल 0.1133 हैक्टयर किस्म गै.मु.रास्ता दर्ज किए जाने के आदेश दिए जातें है। तहसीलदार पाटोदी को निर्देशित किया जाता है,कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें।

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 02.5.2025 को लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

02/05/25

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा